

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पेंशन निदेशालय,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**नियुक्ति अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक:10 अगस्त, 2018**

विषय:- श्री विजय शंकर चौधरी, पी0सी0एस0 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री विजय शंकर चौधरी, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-07-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री विजय शंकर चौधरी के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक:-यथोक्त ।**

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)  
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि श्री विजय शंकर चौधरी, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-1/81, आवास विकास कालोनी, योजना-II, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या- 89/2018/2883 /दो-2-2018-28/2(39)/2018  
लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2018

**कार्यालय-ज्ञाप**

श्री विजय शंकर चौधरी, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-07-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

धनन्जय शुक्ल,  
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- श्री विजय शंकर चौधरी, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-1/81, आवास विकास कालोनी, योजना-11, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-89/2018/ 2887 /दो-2-2018-28/2(39)/2018  
लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2018

संयुक्त सचिव,  
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),  
30प्र0 शासन।

श्री विजय शंकर चौधरी, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-07-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(धनन्जय शुक्ल)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री विजय शंकर चौधरी, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-1/81, आवास विकास कालोनी, योजना-11, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**नियुक्ति अनुभाग 2**  
**संख्या-89 /2018/2890 /दो-2-2018-28/2(39)/2018**  
**लखनउ: दिनांक: 10 अगस्त, 2018**  
**आदेश**

श्री विजय शंकर चौधरी, पी0सी0एस0 द्वारा अपने भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-71559 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री विजय शंकर चौधरी, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-37/402-2550 दिनांक 15-06-2018 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-23,61,032/- (रू0-तेइस लाख इकसठ हजार बतीस मात्र) में से श्री चौधरी द्वारा आहरित किये गये धनराशि रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र) घटाते/ कम करते हुए श्री चौधरी के जी0पी0एफ0 खाते की कुल अवशेष धनराशि रू0 13,61,032 (रू0 तेरह लाख इकसठ हजार बतीस मात्र ) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-12,24,928.08 अर्थात रू0-12,24,929.00(रू0 बारह लाख चौबीस हजार नौ सौ उन्नतीस मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री विजय शंकर चौधरी के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

( धनन्जय शुक्ल)  
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनउ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री विजय शंकर चौधरी पी0सी0एस0, तत्कालीन तत्कालीन महाप्रबन्धक,( प्रशासन) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्रा0 सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्टट, लखनउ ।
- 4- श्री विजय शंकर चौधरी,से0नि0,पी0सी0एस0 पता-1/81, आवास विकास कालोनी, योजना- II, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।